न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/187 **दायरा दिनांक : 18.11.2024**

उनवान

1. गोपाल कुंवर पत्नी मंगल सिंह, जाति राजूत, निवासी कनवाडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
2. नारायण सिंह आत्मज किशन सिंह, जाति राजूत, निवासी कनवाडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
3. मंगल सिंह आत्मज किशन सिंह, जाति राजूत, निवासी कनवाडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. शिवसिंह आत्मज गंगा सिंह, जाति राजूत, निवासी कनवाडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री कालू सिंह सिसोदिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री विवेक जोशी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 14.11.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 364/प्रार्थना पत्र/2021 निर्णय दिनांक 03.09.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थी के खाते में कनवाडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड के खाता सं. नया 325 पुराना 288 की खसरा नं. 687 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 688 रकबा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ ने अपने निर्णय दिनांक 03.09.2024 से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा पारित आदेश न्याय तथा विधि के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है, एवं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट के खातेदारी की आराजी खाता संख्या नया 64 पुराना 153 के खसरा नं. 706 रकबा 1.4542 हेक्टेयर की पूर्वी मेड से होकर रेस्पोडेंट नं. 1 की आराजी खसरा नं. 687 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 688 रकबा 4 बिस्वा पर आने जाने का वर्तमान में कोई चालू रास्ता नहीं है। ग्राम कनवाडा से खेडा खाल की ओर खसरा नं. 684 में से होकर, रेस्पोडेंट नं. 1 की आराजी खसरा नं. 687 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 688 रकबा 4 बिस्वा पर आने जाने का रास्ता है। रास्ते के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र कमांक 591–98/न्याय/2023 दिनांक 20.12.2023 से तहसीलदार झालरापाटन से मांगी गई, जिस पर दिनांक 05.01.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जिस पर स्वतंत्र गवाह तेजसिंह, प्रहलाद सिंह के पेज नं. 1 व 2 पर हस्ताक्षर नहीं है, पेज नं. 3 पर स्वतंत्र गवाह तेजसिंह, प्रहलाद सिंह के हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाये थे। मौका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 के पैरा नं. 4 में अंकित है कि वर्तमान में मौके पर खसरा नं. 687, 688 पर आने जाने हेतु खसरा नं. 706 की पश्चिमी मेड व खसरा नं. 700/984 की पश्चिमी मेड पर कोई रास्ता नहीं है, मेडतक फसल की बुवाई हो रही है तथा मेड पर पत्थर की कोट भी हो रही है तथा खसरा नं. 706 की पश्चिमी मेड व कनवाडा से बावडीखेडा जाने वाली कच्ची सडक की तरफ भी पत्थर की कोट हो रही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 03.09.2024 बाबत खसरा नं. 687, 688 पर रेस्पोडेंट नं. 1 के आने जाने हेतु अपीलांट्स के खाते की आराजी खसरा नं. 706 की पश्चिमी मेड व खसरा नं. 700/984 की पश्चिमी मेड पर कोई नया रास्ता 12 फिट चौडा निकालने के आदेश को अपास्त करने का आदेश/निर्णय करने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम कनवाडा से खेडा खाल की ओर खसरा नं. 684 में से होकर, रेस्पोडेंट नम्बर 1 की आराजी खसरा नं. 687 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 688 रकबा 4 बिस्वा पर आने जाने का रास्ता है। मौका रिपोर्ट के दौरान स्वतंत्र गवाह तेजसिंह प्रहलादसिंह के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित एवं विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये।

(दीप्ति सम्बन्ध मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट शिवसिंह द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी के खाते में कनवाडा झालरापाटन जिला झालावाड के खाता संख्या नया 325 व पुराना 288 की खसरा नं. 687 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 688 रकबा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। प्रार्थी को उक्त आराजी पर जाने के लिए एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी खाता संख्या नया 64 पुराना 153 के खसरा नं. 706 रकबा 1.4542 हैक्टर की पूर्वी मेड पर होकर जाता है। इस रास्ते का उपयोग उपभोग हम लगभग 50 वर्षों से करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा अर्सा सालभर से पत्थर की कोट करके बंद कर दिया है। अतः इस रास्ते की पत्थर की कोट हटाई जाकर खुलासा करवाया जाये एवं जो भी भूमि रास्ते में निकले उसका मुआवजा तय करवाया जावे, उसे प्रार्थी जमा करने के लिए तैयार है।

अधीनस्थ न्यायालय में दौराने वाद अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अपने विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी का पूर्व में ही रास्ता आने जाने का बना हुआ है। अप्रार्थीगण को जबरन परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पेश किया गया है। प्रार्थी ने इस रास्ते बाबत एक इकरारनामा दिनांक 15.07.2022 को अप्रार्थी मंगलसिंह के पक्ष में लिख कर दिया कि मेरे खेत पर जाने का रास्ता नही है इसलिए मैं मंगलसिंह की आराजी में 12 फीट चौडाई और लम्बाई जितना रास्ता लूंगा तथा इतनी ही जमीन जो रास्ते में मुझे दी गयी है लम्बाई चौडाई के हिसाब से बनेगी उत्नी जमीन अपनी भूमि से से मंगलसिंह को दूंगा तथा यह रास्ता दो साल तक अस्थायी रहेगा। इकरारनामे के बाद भी प्रार्थी जबरन अप्रार्थीगण के खेत मे रास्ता मांग कर इकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन करके यह झूठा प्रार्थना पत्र किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 03.09.2024 से वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी में आने–जाने के लिए, कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए, अप्रार्थीगण के खसरा नं. 706 व 700/984 की पश्चिमी मेर से 12 फीट चौडा गुणा लम्बाई में रास्ता इस आशय के साथ दिया गया कि प्रार्थीगण के द्वारा उपभोग किये जाने वाला रास्ता (जिसकी चोडाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी) कीमतन दिया जावे जिसका भुगतान प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगणों को प्रचलित डीएलसी दर से दुगनी कीमत पर भुगतान किया जाएगा। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगणों को उनके हिस्सेनुसार रारते में आये हुए रकबे का समुचित भुगतान होने पर नियमानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये। इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नं. 706 रकबा 1.4542 हेक्टेयर की पूर्वी मेड से होकर रेस्पोडेंट नं. 1 की आराजी खसरा नं. 687 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 688 रकबा 4 बिस्वा पर आने जाने का वर्तमान में कोई चालू रास्ता नहीं है। ग्राम कनवाडा से खेडा खाल की ओर खसरा नं. 684 में से होकर, रेस्पोडेंट नं. 1 की आराजी खसरा नं. 687, 688 पर आने जाने का रास्ता है परन्तु अप्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब प्रार्थना पत्र में इस सन्दर्भ में कोई कथन अंकित नहीं किया है। अप्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब से भिन्न नये तथ्यों का अपील के इस स्तर पर प्रस्तुत करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं तहसीलदार झालरापाटन द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 की आराजी खसरा नं. 687 व 688 पर पहुंचने हेतु रेकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार झालरापाटन द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 के आधार पर प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 को उसके खाते की आराजी खसरा नं. 687 व 688 पर आने जाने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए अप्रार्थी अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नं. 706 व 700/984 की पश्चिमी मेड पर रास्ता उपलब्ध कराया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित हो सके कि प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 के खाते की आराजी खसरा नं. 687 व 688 पर पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं अप्रार्थी अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र से वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता साबित नहीं होने के कारण हम अपीलाधीन निर्णय में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा